

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी, नोहर जिला हनुमानगढ
पीठासीन अधिकारी का नाम : राहुल श्रीवास्वत (आई0ए0एस0)
प्रकरण संख्या - 177/2022

अनवान : -

1. माया पुत्री राजेन्द्र कुमार जाति जाट निवासी चक 16-17 के.एन.एन. तहसील नोहर नाबालिग जरिये संरक्षिका माता सुनिता पत्नि राजेन्द्र कुमार जाति जाट निवासी चक 16-17 के.एन.एन. तहसील नोहर जिला हनुमानगढ।
2. करिश पुत्र राजेन्द्र कुमार जाति जाट निवासी चक 16-17 के.एन.एन. तहसील नोहर नाबालिग जरिये संरक्षिका माता सुनिता पत्नि राजेन्द्र कुमार जाति जाट निवासी चक 16-17 के.एन.एन. तहसील नोहर।

- प्रार्थीगण

बनाम्

1. राजेन्द्र कुमार पुत्र लालचन्द जाति जाट निवासी चक 16-17 के.एन.एन. तहसील नोहर जिला हनुमानगढ।
2. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर तहसील नोहर।
3. उप पंजीयक कार्यालय नोहर तहसील नोहर।

- अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा

अन्तर्गत धारा 212 आर.टी.एक्ट.


उपस्थिति :- श्री रामकुमार बैनीवाल अधिवक्ता सायल
निर्णय दिनांक: 30/01/26

संक्षेप में तथ्य इस प्रकार से है कि प्रार्थी ने जरिये अधिवक्ता यह प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत इस आशय का पेश किया रोही मौजा चक 17 केएनएन के खाता संख्या 84/84 की कुल 0.759हैक, व रोही मौजा चक 2 ए बाराणी के खाता संख्या 121/119 की कुल 0.7590 हैक् भूमि गैरसायल संख्या 1 के नाम दर्ज है।

उक्त भूमि पूर्व में प्रार्थी के पूर्वजों के नाम दर्ज रही है। उपरोक्त कृषि भूमि गैरसायल स0 1 के नाम बतौर कर्ता हिन्दु खान दान दर्ज है एवं गैरसायल स0 1 के नाम दर्ज कृषि भूमि पैतृक कृषि भूमि है जिसमें सायलान का जन्म से हक हिस्सा है है यानि बाई बर्थ राईट है। इसलिए सायलान अपने हक हिस्सा अनुसार वाद भूमि अपने नाम दर्ज करवा पाने का अधिकारी है।

वाद भूमि गैरसायल स0 1 के नाम बतौरकर्ता हिन्दु परिवार गलत दर्ज होने से सायलान को उसके हक व हिस्सा से महरूम करना चाहते है तथा गैरसायल उक्त वाद भूमि को रहन, बैय करना चाहते है जिससे सायलान को अपूर्ण्य क्षति होगी अतः अप्रार्थीगण के खिलाफ अस्थाई निषेधाज्ञा जारी की जावे की जब तक वाद का निस्तारण न हो तब तक मौका व रिकार्ड की यथास्थिति बनाये रखे।

प्रार्थना पत्र पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया गया। रोही मौजा चक 17 केएनएन के खाता संख्या 84/84 की कुल 0.759हैक, व रोही मौजा चक 2 ए बाराणी के खाता संख्या 121/119 की कुल 0.7590 हैक् भूमि में अंतरिम अस्थाई निषेधाज्ञा विरुद्ध अप्रार्थी स0 1 इस आशय की जारी की गई की अप्रार्थी स0 1 उक्त वाद भूमि रहन, बैय न करे।


Rahul
उपखण्ड अधिकारी
नोहर

अप्रार्थीगण को तलब किया गया । अप्रार्थी स0 1 को विधिवत सम्यक नोटिस तामील होने के बाद भी अप्रार्थी स0 1 ता 2 उपस्थित नहीं अतः अप्रार्थी स0 1 ता 2 के विरुद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लायी गयी ।

बहस अधिवक्ता उभयपक्ष सुनी गई । हमने पत्रावली का अवलोकन किया एवं अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस पर मनन करने एवं प्रार्थना पत्र, जमाबंदी का गहन अध्ययन करने के उपरान्त इस नतीजे पर पहुंचे है कि वादग्रस्त भूमि बाबत हक अधिकारों की घोषणा मूल दावों के निर्णय में तय होने है । राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 212 के प्रार्थना पत्र के निस्तारण के दौरान केवल यह देखना है कि प्रथम दृष्टया मामला, सुविधा का सन्तुलन किसके पक्ष में है तथा अपूर्ण्य क्षति किसको होती है? प्रार्थीगण एवं अप्रार्थीगण के हक अधिकारों की घोषणा मूल दावे में तय होना है ।

प्रार्थी का कथन है कि रोही मौजा चक 17 केएनएन के खाता संख्या 84/84 की कुल 0.759हैक, व रोही मौजा चक 2 ए बरानी के खाता संख्या 121/119 की कुल 0.7590 हैक् भूमि प्रतिवादी स0 1 के नाम दर्ज है उक्त भूमि पैतृक भूमि है जो की प्रार्थीगण के दादा लालचन्द के देहान्त होने के बाद अप्रार्थी स0 1 के नाम दर्ज हुई है । परन्तु अधिवक्ता प्रार्थी द्वारा ऐसा कोई दस्तावेज पेश नहीं किया गया है जिससे उक्त भूमि पैतृक भूमि होना साबित हो, उक्त विवेचनानुसार प्रथम दृष्टया मामला अप्रार्थीगण के पक्ष में साबित होता है न की प्रार्थी के पक्ष में । जब प्रथम दृष्टया मामला अप्रार्थीगण के पक्ष में सिद्ध हो गया है तो सुविधा का संतुलन भी अप्रार्थीगण के पक्ष में सिद्ध होता है । अगर निषेधाज्ञा ताफैसला कन्फर्म की जाती है तो अपूर्ण्य क्षति भी अप्रार्थीगण को होगी न की प्रार्थी को । प्रथम दृष्टया मामला, सुविधा का संतुलन व अपूर्ण्य क्षति इन तीनों ही तत्वों में से कोई भी तत्व प्रार्थी के पक्ष में साबित नहीं होते है बल्कि अप्रार्थीगण के पक्ष में बखूबी साबित है । इसलिए अप्रार्थीगण को अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया जाना किसी भी तरह से न्यायोचित प्रतीत नहीं होता है तथा प्राकृतिक न्याय एवं साम्य न्याय के सिद्धान्तों के विपरित है ।

अतः उपरोक्त विवेचन स्वरूप प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम अस्थाई निषेधाज्ञा साबित नहीं होने से दिनांक 02.08.2022 को जारी की गई अस्थायी निषेधाज्ञा खारिज की जाती है । पत्रावली नम्बर से कम की जाकर बाद तरतीब तकमील जाब्ला दाखिल दफ्तर हों ।

निर्णय आज दिनांक.....30/01/26.....मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

Lahul.
(राहुल श्रीवास्तव I.A.S)
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
एवं सहायक कलक्टर
नोहर